न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 31 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. चेतनराम पुत्र प्रभुराम उम्र 77 वर्ष
2. भमराराम पुत्र प्रभुराम, उम्र 71 वर्ष
3. रासाराम पुत्र प्रभुराम उम्र 68 वर्ष
4. शिवलाल पुत्र प्रभुराम उम्र 66 वर्ष
5. भगवानाराम पुत्र हरखाराम फौत के कायम मुकामः—5 / 1बिहारीलाल पुत्र हरखाराम उम्र 26 वर्ष
   5 / 2चनणी देवी पत्नी हरखाराम उम्र 51 वर्ष जाति कुम्हार निवासी मणिहारी तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.पुरखाराम पुत्र सुखाराम फौत के कायम मुकाम

1 / 1रामाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 42 वर्ष

1 / 2भगवानाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 33 वर्ष

1 / 3सोनी देवी पत्नी पुरखाराम उम्र 69 वर्ष

1 / 4महेन्द्राराम पुत्र रिडमलराम उम्र 44 वर्ष

1 / 5कलाराम पुत्र रिडमलराम उम्र 24 वर्ष

1 / 6कस्तुरी देवी पत्नी रिडमलराम उम्र 44 वर्ष

2.नथाराम पुत्र सुखाराम उम्र 67 वर्ष

3.देदाराम पुत्र सुखाराम उम्र 63 वर्ष

4.अमृताराम पुत्र उतमाराम उम्र 53 वर्ष

5.गंगाराम पुत्र उतमाराम, उम्र 45 वर्ष जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव जिला बाड़मेर।

6.राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान श्रीमान तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 450 / 2016 बअनवान पुरखाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम चेतनराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवीलाल कुमावत एवं श्री कुमार कौशल जोशी रेस्पोडेंट की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 20.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कि अपीलांटस व उतरदातागण की पैतृक भूमि खसरा संख्या 424 रकबा 14.07 बीघा, मौजा मणिहारी, पटवार मण्डल हडवा तहसील शिव में आई हुई है। अपीलांट के दादा स्व. गोरधनराम का भू बंदोबस्त के पूर्व देहान्त हो गया था लेकिन भू बंदोबस्त के समय गोरधनराम के पुत्र सुखराम जो कि उतरदाता संख्या 01 से 03 का पिता व दादा ने अपीलाधीन आराजी अपने नाम से नपवा ली थी जिसकी जानकारी अपीलांट को यह वाद पेश करने से कुछ समय पूर्व ही हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद संख्या 138/2012 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण/प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे। उक्त नोटिस की म्याद गुजरने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2013 को उतरदातागण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई लगभग 04 वर्ष तक बहस में चलती रही। दिनांक 06.04.2016 को वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी की। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 187 मौजा मणिहारी दर्ज हो गया। इसके बाद नामान्तकरण पारित होने के लगभग 02 माह बाद उतरदातागण ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई उतरदातागण का उक्त आवेदन दिनांक 11.02.2017 को स्वीकार कर अपीलांट के पक्ष में जारी डिक्री दिनांक 06.04.2016 को अपास्त कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई न्यायिक प्रक्रिया का अवलोकन नहीं किया है क्योंकि राजस्व वाद संख्या 138/2012 की पत्रावली गत वर्ष "न्याय आपके द्वार अभियान" के तहत दिनांक 09.07.2015 को कैम्प कोर्ट हड़वा में पेश हुई एवं उक्त कैम्प कोर्ट के नोटिस भी उतरदातागण को भेजे गये उनको पूर्ण रूपेण सूचना दी गई एवं अब उनका यह कहना कि उनको इस वाद एवं निर्णय की जाकनारी नहीं थी, गलत है। विधि का यह भी मत है कि अगर प्रतिवादी बावजूद सूचना न्यायालय से अनुपस्थित रहता है और उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित हो जाता है और उस स्थिति में प्रतिवादी का देहान्त हो जाये तो न तो उसके विधिक वारीसान को रेकर्ड पर लेने की आवश्यकता है और न उस कारण वादी का वाद एबेट होता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इस मत को अनदेखा कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई न्यायिक प्रक्रिया का अवलोकन नहीं किया है क्योंकि राजस्व वाद संख्या 138/2012 की पत्रावली गत वर्ष "न्याय आपके द्वार अभियान" के तहत दिनांक 09.07.2015 को कैम्प कोर्ट हड़वा में पेश हुई एवं उक्त कैम्प कोर्ट के नोटिस भी उतरदातागण को भेजे गये उनको पूर्ण रूपेण सूचना दी गई एवं अब यह कहना की उनको इस वाद एवं निर्णय की जाकनारी नहीं थी गलत है। विधि का यह भी मत है कि अगर प्रतिवादी बावजूद सूचना न्यायालय से अनुपस्थित रहता है और उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित हो जाता है और उस स्थिति में प्रतिवादी का देहान्त हो जाये तो न तो उसके विधिक वारीसान के रेकर्ड पर लेने की आवश्यकता है और न उस कारण वादी का वाद एबेट होता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के इस मत को अनदेखा कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रख कर अपीलांट द्वारा झूठी तामील करवाकर रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा दिनांक 06.04.2016 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की गई थी जो प्रारम्भ से ही अवैधानिक एवं शून्य थी। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी के हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें सुनवाई का विधिसम्मत अवसर प्रदान करना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील भी अपीलांट पक्ष की न्यायालय हाजा में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 20.06.2018 को खारिज हो चुकी। यह अपीलांट पक्ष की अपने मामले में उपेक्षा को इंगित करता है। फिर भी न्यायहित में अपील को उनके आवेदन पर पुनः बरामद किया गया। उभयपक्ष की बहस के पश्चात निष्कर्ष यह है कि अपीलांट भी अपने मामले का गुणावगुण पर निस्तारण चाहता है और इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने भी इसी सिद्धांतों को अपनाते हुए रेस्पोडेंट के विरूद्ध हुई एकतरफा कार्यवाही को मंसूख कर मामले को मेरिट पर सुनने के लिए उनका

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवेदन स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। उभयपक्ष को समान रूप से मेरिट के आधार पर सुनना न्यायसंगत है इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत एवं उचित है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के राजस्व आवेदन संख्या 450/2016 बअनवान पुरखाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम चेतनराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

(तख्तदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner